मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 नवम्बर 2013-कार्तिक 10, शके 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, नियर ताजुल मसाजिद, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2013

निरस्तीकरण सूचना

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन द्वारा गठित)

क्र.8326.—दरगाह ख्वाजा बुरहानुद्दीन चिश्ती, ग्राम कालियादेह, उज्जैन, वक्फ पंजी क्रमांक-34, सर्वे क्रमांक-705 पर दर्ज सम्पत्ति के संबंध में मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 3 (1) के अंक क्रमांक-15, दिनांक 12 अप्रैल, 2013 के पृष्ठ क्रमांक 355-356 पर जो अधिसूचना प्रकाशित की गई है. उसे एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

दाऊद अहमद खान,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

(405-बी.)

NOTICE

Notice is hereby given that the Office of the firm M/s. ELECTRONICS & ELECTRICALS, A-1/C, Pologround Industrial Estate, INDORE-452 003 has been shifted to 18-A, Electronic Complex, Pardeshipura, INDORE-452 010 *w.e.f.* 01-09-2011.

For : ELECTRONICS & ELECTRICALS,
SURESH CHANDRA KASLIWAL,
(Partner).

(396-B.)

NOTICE

Notice is hereby given at large that Mr. Rajesh Kasliwal S/o Shri Suresh Kasliwal has retired from the partnership firm M/s. ELECTRONICS & ELECTRICALS, INDORE with effect from 01-04-1989 and Mr. Shailesh Kasliwal S/o Shri Suresh Kasliwal has joined the firm M/s. ELECTRONICS & ELECTRICALS, INDORE (Reg. No. 1965) *w.e.f.* 01-04-1989.

For : ELECTRONICS & ELECTRICALS,
SURESH CHANDRA KASLIWAL,
(Partner).

(396-A-B.)

JAHIR SUCHNA

According to Provisions of Partnership Act, 1932 we are intimate to general public that our firm M/s SK Sodani, Address 7/4, Film Colony, South Tukoganj, Indore whose registration no. Is 03/27/03/00126/08 Year 2008-2009 had retire 1 partner in the firm with effect from 17/09/2013 named Shri Ashok Manchanda S/o Late Shri G.D. Manchanda, Resident of N-2 Anoop Nagar, Indore.

From M/S SK SODANI,

SURESH SODANI,
(Partner)
Indore.

(406-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स देव ड्रिलिंग वर्क्स, त्योंथर, रीवा, पता—पुष्पराज नगर, बड़ी पुल, रीवा, मध्यप्रदेश से दिनांक 31 मार्च, 2013 से रमाशंकर सिंह एवं रामदेव सिंह को पृथक् किया जाता है. अब फर्म में निम्न भागीदार रहेंगे—(1) शिवलखन सिंह, (2) श्रीमती अर्चना सिंह, (3) दयाशंकर सिंह, (4) हेमराज सिंह, (5) उमाशंकर सिंह.

उक्त दिनांक से पृथक् किये गये भागीदारों का फर्म से कोई लेना-देना नहीं रहेगा. कार्यरत भागीदार विलेख के आधार पर अपना दायित्व निभायेंगे.

द्वारा—उमाशंकर सिंह,

भागीदार—मेसर्स देव ड्रिलिंग वर्क्स, त्योंथर, रीवा,
पता—पुष्पराज नगर, बड़ी पुल, रीवा (मध्यप्रदेश).

(407-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स शंकर बोरवेल, बड़ी पुल के पास, पुष्पराज नगर, रीवा से दिनांक 31 मार्च, 2013 से रमाशंकर सिंह को पृथक् किया जाता है. अब फर्म में निम्न भागीदार रहेंगे—(1) शिवलखन सिंह, (2) उमाशंकर सिंह, (3) श्रीमती प्रभावती सिंह, (4) श्रीमती ज्ञानवती सिंह, (5)शेर सिंह.

उक्त दिनांक से पृथक् किये गये भागीदारों का फर्म से कोई लेना-देना नहीं रहेगा. कार्यरत भागीदारी विलेख के आधार पर अपना दायित्व निभायेंगे.

द्वारा—उमाशंकर सिंह,

भागीदार—मेसर्स शंकर बोरवेल, बड़ी पुल के पास,
पुष्पराज नगर, रीवा (मध्यप्रदेश).

(408-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स शंकर कंस्ट्रक्शन कंपनी, रीवा, मध्यप्रदेश पता—पुष्पराज नगर से दिनांक 31-03-13 से रमाशंकर सिंह, श्रीमती सुमित्रा देवी, रामदेव सिंह एवं कमलेश्वर सिंह को पृथक् किया जाता है. अब फर्म में निम्न भागीदार रहेंगे— (1) उमाशंकर सिंह, (2) शिवलखन सिंह, (3) श्रीमती प्रभावती सिंह.

उक्त दिनांक से पृथक् किये गये भागीदारों का फर्म से कोई लेना-देना नहीं रहेगा. कार्यरत भागीदारी विलेख के आधार पर अपना दायित्व निभायेंगे.

द्वारा—उमाशंकर सिंह,

भागीदार-मेसर्स शंकर कंस्ट्रक्शन कंपनी, रीवा,
पता—पुष्पराज नगर, रीवा (मध्यप्रदेश).

(409-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मे. शुक्ला कांस्ट्रक्शन कम्पनी, सिरमौर, जिला रीवा से दिनांक 31-03-2013 से निम्न भागीदारों को पृथक् किया जाता है:—

1. श्री त्रियुगीनारायण शुक्ला,

2. श्री पवन शुक्ला

अब फर्म में निम्न भागीदार रहेंगे :—1. श्री कामता प्रसाद शुक्ला, 2. श्री रामनाथ शुक्ला, 3. श्री पद्माकर शुक्ला, 4. श्री सन्तोष कुमार शुक्ला, 5. श्री जितेन्द्र शुक्ला, 6. श्रीमती विद्यावती शुक्ला, 7. श्रीमती मुन्नी देवी शुक्ला.

उक्त दिनांक से पृथक् किये गये भागीदारों का फर्म से कोई लेन-देन नहीं रहेगा. कार्यरत भागीदार—भागीदारी विलेख के आधार पर अपना दायित्व निभायेंगे.

द्वारा-शुक्ला कांस्ट्रक्शन कम्पनी,
सन्तोष कुमार शुक्ला,
(पार्टनर)
सिरमौर, रीवा (मध्यप्रदेश).

(410-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. कृष्णा कान्स्ट्रक्शन कम्पनी, समान रोड, रीवा से दिनांक 01-04-2013 से पार्टनर श्री रामसज्जन शुक्ला को पृथक् किया जाता है. उक्त दिनांक से ही दो नये पार्टनर श्री प्रफुल्ल चतुर्वेदी एवं श्री कृष्ण कुमार बाजपेयी को फर्म में शामिल किया गया है. फर्म के शेष पार्टनर यथावत् फर्म में बने रहेंगे.

पवन कुमार बाजपेयी,
(पार्टनर)
मे. कृष्णा कान्स्ट्रक्शन कम्पनी,
25/356, बाणसागर कॉलोनी के सामने,
समान रोड, रीवा (मध्यप्रदेश).

(411-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. रामसज्जन शुक्ला, रानी तालाब, सिरमौर, जिला रीवा, म. प्र. से दिनांक 1-04-2013 से पार्टनर श्री रामसज्जन शुक्ला पिता राजमणि शुक्ला, रानी तालाब, सिरमौर, रीवा को फर्म से पृथक् किया जाता है. शेष भागीदार यथावत् रहेंगे. दिनांक 01-04-2013 से श्री रामसज्जन शुक्ला का फर्म से कोई लेना-देना नहीं होगा. समस्त लेनदारी, देनदारी कार्यों का उत्तरदायित्व शेष भागीदारों का होगा.

विकाश शुक्ला,
भागीदार—मे. रामसज्जन शुक्ला,
रानी तालाब, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).

(412-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स नंदनी कांस्ट्रक्शन अमहिया, रीवा से दिनांक 31-03-2013 से पार्टनर श्री कृष्णकांत सोहगौरा को पृथक् किया जाता है. उक्त दिनांक से फर्म में 4 नये पार्टनर—(1) श्रीमती विद्या तिवारी, (2) श्री विपिन पाण्डेय, (3) श्री दिलीप द्विवेदी, (4) श्री विजय द्विवेदी को शामिल किया जाता है.

उक्त दिनांक पश्चात् फर्म से पृथक् किये गये पार्टनर का फर्म से किसी प्रकार कोई लेन-देन नहीं रहेगा. फर्म के शेष पार्टनर यथावत् फर्म में बने रहेंगे.

मे. नंदनी कांस्ट्रक्शन,
नीरज तिवारी,
(Partner)
अमहिया रीवा.

(413-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मै. सावरिया पोलीमर्स, गुना का नाम परिवर्तन करके मै. सावरिया पोलीमर्स कर दिया गया है. उपरोक्त संशोधन दिनांक 18-07-2013 से प्रभावशील हो गया है. तत्संबंधी सूचित हो.

फर्म-मैसर्स सावरिया पोलीमर्स, गुना,

शशांक अग्रवाल,

पार्टनर.

(404-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मैं Rajshree chahande D/o shri hemchand tulsiram chahande के नाम से जानी पहिचानी जाती थी यही नाम मेरी अंकसूची में अंकित है. शादी के उपरांत मेरा नाम बदलकर श्रीमती Rajshree junaid akif W/o Shri junaid akif hussain के नाम से जानी पहिचानी जाती हूँ व इसी नाम से मैं अपने हस्ताक्षर करती हूँ.

पुराना नाम :

(RAJSHREE CHAHANDE)

नया नाम :

(RAJSHREE JUNAID AKIF)
W/o Shri Junaid Akif Hussain,
Flat No. 302, Millennium Habitat,
Shaheed Nagar, Hostel Road, Bhopal (M.P.).

(384-बी.)

CHANGE IN NAME

I, Kesar Wadhwani here by declare that I have change my name as Sneha Sachin Wadhwani. So, from now and in future I will be known by my new name.

Old Name :

(KESAR WADHWANI)

New Name :

(SNEHA SACHIN WADHWANI)
85, PALSIKAR COLONY,
Indore (M.P.).

(403-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पहले मेरा नाम विजय कुमार कवि था. अब मैंने अपना नाम बदलकर विजय कुमार कवि कब्जू रख लिया है. अत: भविष्य में मुझे विजय कुमार कवि कब्जू के नाम से ही जाना जावे.

पुराना नाम :

(विजय कुमार कवि)

नया नाम :

(विजय कुमार कवि कब्जू)
निवासी—जी एल-4, कचनार अपार्टमेंट,
ग्रीन गार्डन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म. प्र.).

(397-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पहले मेरा नाम प्रांजल कब्जू था. अत: अब मैंने अपना नाम बदलकर प्रांजल कब्जू भार्गव रख लिया है. अत: अब भविष्य में मुझे प्रांजल कब्जू भार्गव के नाम से ही जाना-पहचाना जाए.

पुराना नाम :

(प्रांजल कब्जू)

नया नाम :

(प्रांजल कब्जू भार्गव)
पुत्र श्री विजय कुमार कवि कब्जू,

निवासी—जी. एल-4, कचनार अपार्टमेंट,

(398-बी.) ग्रीन गार्डन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म. प्र.).

CHANGE OF NAME

I, Smt. Meena Kumari W/o Shri Dharam Pal Purswani R/o. H. No. 21, Bairathi Colony, Indore (M.P.) hereby in form One and all. That today Onwards, I will be known as SonaDevi Puraswani W/o Dharam Pal Puraswani subsequent today, I am known and in future be known only as Sonadevi Puraswani.

Old Name :

(MEENA KUMARI)

New Name :

(SONADEVI PURASWANI)
W/o Dharampal Puraswani
848, Jeevan Deep Colony,
INDORE (M.P.).

(399-B.)

CHANGE OF NAME

Before marriage my name was KAVITA KUMARI THAKUR after marriage. I have changed my name PRIYA THAKUR W/o AMAR LAL THAKUR.

Old Name :

(KAVITA KUMARI THAKUR)

New Name :

(PRIYA THAKUR)
Add—53, Vinay Nagar, R.T.O. Road,
INDORE (M.P.).

(400-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, संगीता पन्नालाल बोहरा ने विवाह उपरान्त अपना नाम परिवर्तन कर मीनल जैन कर लिया है. अत: अब से मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

(संगीता पन्नालाल बोहरा)

नया नाम :

(मीनल जैन)
296-A, पार्श्वनाथ नगर,
आर.टी.ओ. रोड, इन्दौर (म.प्र.).

(401-बी.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम माधवी न्याती (MADHAWI NYATI) था, जिसमें हमने बदलाव कर माधवी न्याती (MADHAVI NYATI) कर लिया है. अत: मुझे मेरे नये नाम माधवी न्याती (MADHAVI NYATI) से ही लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(माधवी न्याती)
(MADHAWI NYATI)

नया नाम :

(माधवी न्याती)
(MADHAVI NYATI)
208, क्लासिक क्राउन अपार्टमेंट,
5/2, ओल्ड पलासिया, इन्दौर (म.प्र.).

(402-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व में नाम उपनाम सहित हयाज खान (HAYAZ KHAN) से परिवर्तित होकर मेरा नया नाम उपनाम सहित अयाज अहमद (AYAZ AHMED) हो गया है. अत: अब मुझे अपने नये नाम उपनाम सहित अयाज अहमद (AYAZ AHMED) से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(हयाज खान)
(HAYAZ KHAN)

नया नाम :

(अयाज अहमद)
(AYAZ AHMED)

वार्ड नं. 18, भण्डारिया स्कूल के पास,
बोड़की ढाना, चांदमेटा,

(414-बी.) जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.).

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, उपखण्ड कन्नौद, जिला देवास

प्र. क्र./1/बी-113/2012-13. **प्रारूप-चार**

[नियम-5 (1)देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट, 1951 क 30 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

लोक न्यास के पंजीयक, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उपखण्ड कन्नौद, जिला देवास के समक्ष.

चूंकि गुर्जर गोड ब्राहम्ण समाज समिति न्यास का निर्माण हेतु श्री शंकरलाल पिता बालमुकुन्द जी व्यास, निवासी कन्नौद के द्वारा पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-चार के अन्तर्गत ट्रस्ट के पंजीयन करने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र के प्रकाशन की तिथि एक माह अर्थात् 30 दिन के अन्दर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अपने अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जा सकेगा.

परिशिष्ट

(लोक न्यास का नाम और पता तथा लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम और पता . . श्री गुर्जर गोड ब्राहम्ण समिति ट्रस्ट न्यास कन्नौद, जिला देवास, म. प्र.
2. लोक न्यास की चल सम्पत्ति . . नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक शाखा कन्नौद में 10,930 रुपये जमा हैं.
3. लोक न्यास की अचल सम्पत्ति . . निरंक

न्यासियों के नाम एवं पता

1. संरक्षक न्यासी . . श्री शंकरलाल पिता बालमुकुन्द व्यास, कन्नौद
2. अध्यक्ष . . श्री मधुसूदन पिता मुलचन्द शर्मा, कन्नौद
3. सचिव . . श्री संजय पिता गोविन्द जोशी, कन्नौद
4. कोषाध्यक्ष . . श्री हरिशंकर पिता रामप्रसाद व्यास, कन्नौद
5. प्रचार सचिव . . श्री पुरूषोत्तम पिता राधेश्याम शर्मा, कन्नौद
6. अन्य ट्रस्टी . . 1. श्री वासुदेव पिता लक्ष्मीनारायण पंचोली
   2. श्री मदनलाल पिता शिवनारायण चौधरी, कन्नौद
   3. श्री गिरीश पिता नन्दलाल दुबे, कन्नौद
   4. श्री हरि पिता परसराम जोशी, कन्नौद

न्यास में कुल सदस्य 09 मनोनीत किये गये हैं. न्यासीगण द्वारा आय का लेखा-जोखा समस्त न्यासीगणों के समक्ष प्रस्तुत किया जावे. सामग्री क्रय अथवा विक्रय करने पर सभी न्यासीगण से परामर्श लिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 08 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

हरिसिंह चौधरी,

(582) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, बड़नगर, जिला उज्जैन

प्र. क्र.2/बी-113/2012-13. प्रो. र. न. 3/5-10-13

फॉर्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1962 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

चूँकि श्री सहस्त्र औदिच्य ब्राह्मण समाज शंकर (चबूतरा) बावडी परिसर, बड़नगर द्वारा श्री गोविंद सिंह किशोरसिंह जागीरदार, ग्राम खरसौदखुर्द, तहसील बड़नगर एवं अन्य के द्वारा ट्रस्ट को पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र मय नियमावली के प्रस्तुत किया गया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट के एवं सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के सम्बन्ध में आपत्ति दावा पेश करना चाहते हैं तो वह इस नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से एक माह अर्थात् तीस दिवस के अन्दर न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डॉक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं निश्चित अवधि के पश्चात् / उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

पब्लिक ट्रस्ट का नाम	..	श्री सहस्त्र औदिच्य ब्राह्मण समाज शंकर (चबूतरा) बावडी परिसर, बड़नगर.
ट्रस्ट का पता	..	मंगलनाथ रोड, बड़नगर, तहसील बड़नगर.
चल सम्पत्ति	..	रुपया दस हजार को-ऑपरेटिव बैंक में.
अचल सम्पत्ति	..	कस्बा बड़नगर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 883 रकबा 0.010, 884 रकबा 0.052, 885 रकबा 0.157, शामिल नम्बर रकबा 0.219, 886 रकबा 0.293, 887 रकबा 0.052, 1697 रकबा 0.178, 1902 रकबा 0.157 कुल रकबा 0.899 है.

आज दिनांक 05 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

सरोधनसिंह,

(583) अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रहली, जिला सागर

रहली, दिनांक 11 सितम्बर, 2013

रा. प्र. क्र. /बी-113/2012-13.

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक मिट्ठूसींग बल्द गनेशसिंह दांगी ठाकुर, निवासी ग्राम इमलिया, तहसील रहली, जिला सागर द्वारा एक आवेदन-पत्र धारा-4 मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर श्री देव हनुमान जी मंदिर इमलिया, तहसील रहली, जिला सागर की न्यास कमेटी के गठन किए जाने बाबत् प्रस्तुत किया है. जिसकी सुनवाई इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 11 नवम्बर, 2013 को दिन को 11.00 बजे नियत की गई है. उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति अथवा आवेदन प्रस्तुत करना हो तो वह नियत दिनांक व समय पर इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं अथवा किसी मान्य अभिकर्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. बाद म्याद गुजरने किसी भी आपत्ति अथवा आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

1.	लोक न्यास का नाम :—	श्री देव हनुमान जी मंदिर, ग्राम इमलिया, तह. रहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश)
2.	लोक न्यास का स्वरूप, उत्पत्ति एवं उद्देश्य :	श्री देव हनुमान जी मंदिर, ग्राम इमलिया, तह. रहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश) की पूजा अर्चना उचित प्रबंधन उन्नति.
3.	वह स्थान जहां लोक न्यास का प्रधान कार्यालय	ग्राम इमलिया, तह. रहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश)

प्रधान स्थान पारित है.

4. कार्यवाही न्यासी और प्रबंधक का नाम उनके पते सहित. श्री मिट्ठूसिंह बल्द गनेशसिंह दांगी ठाकुर, सा. इमलिया, तहसील रहली, जिला सागर.

मुख्य कार्यकारी न्यासी/अध्यक्ष.

1. राजेन्द्रसिंह बल्द गजराजसिंह सा. इमलिया, तह. रहली—उपाध्यक्ष.
2. लखनसिंह बल्द अर्जुनसिंह सा. इमलिया, तह. रहली—सदस्य
3. नारायणसिंह बल्द गनेशसिंह सा. इमलिया, तह. रहली—सदस्य
4. जगतसिंह बल्द रामसिंह सा. इमलिया, तह. रहली—सदस्य
5. रघुनाथसिंह बल्द महराजसिंह सा. इमलिया, तह. रहली—सदस्य
6. वीरेन्द्रसिंह बल्द मिट्ठूसिंह सा. इमलिया, तह. रहली—सदस्य
7. रघुराजसिंह बल्द नारायणसिंह सा. इमलिया, तह. रहली—सदस्य
8. विन्द्रावन बल्द बट्ठू आदिवासी सा. इमलिया, तह. रहली—सदस्य
9. मोहनसींग बल्द जगन्नाथ सा. इमलिया, तह. रहली—सदस्य

5. न्यासीपद या व्यवस्थापन पद के उत्तराधिकार की रीति. कार्यकारी समिति के सदस्यों की बैठक में बहुमत के आधार पर चुनाव.

6. न्यास से संबंधित योजना कोई हो तो विवरण प्रक्रिया संलग्न करें. धार्मिक उत्सव उचित रखरखाव विधिवत् पूजापाठ.

7. **सम्पत्ति का विवरण :** ग्राम इमलिया, प. ह. नं. 23, तह. रहली स्थित भूमि स्वामी भूमि

खसरा नम्बर	रकबा (हे. मे.)	लगान
80/2	0.550	4.69
241	0.360	2.50
306	0.050	0.31
योग 3 मेंड़े	**0.960**	**7.50**

एक मंदिर श्री देव हनुमान जी मंदिर ग्राम इमलिया प्रतिष्ठित पत्थर की मूर्ति,

चल सम्पत्ति :

1. मुकुट चांदी—एक, 2. तिलक चांदी-एक, 3. नेत्र चाँदी-एक जोड़ी, 4. कर्णफूल चाँदी, 5. मुश्ठिका चाँदी, 6. बाजूबंदी चाँदी, 7. कलाईबंद चाँदी, 8. गले का हार चाँदी, 9. वक्षस्थल श्रीराम आकृति चाँदी, 10. छत्र चाँदी, 11. करधनी चाँदी, 12. पैरबंद चाँदी, 13. तिलक चाँदी, 14. पाँव बेड़ी चाँदी, 15. लाकिट चाँदी, 16. माला गले की चाँदी, 17. अंगूठी चाँदी, 18. स्पीकर, 19. माईक, 20. माईक स्टेण्ड, 21. एम्पलीफायर, 22. अलमारी गोदरेज छोटी, 23. घंटा पीतल छोटे-बड़े, 24. घड़ी दीवाल, 25. सिंचाई मोटर S.H.P. (CRI कम्पनी), 26. पाईप काश्ता कंपनी काले अकड़ा वाले, 27. सेक्शन, 28. स्टाटर, 29. नोजल, एडाप्टर, राईजर पाईप, 30. इमरजेन्सी छोटा इन्वर्टर, 31. हारमोनियम, 32. ढोलक—एक, 33. मजीरा—एक, 34. झूला—एक, 35. चमीटा—एक, 36. फर्श बड़ा—एक, 37. गैस सिलेण्डर एच. पी.—एक, 38. गैस चूल्हा—एक, 39. बाल्टी—एक, 40. थाली—एक, 41. गिलास—एक, 42. चिमटा—एक, 43. श्रीरामचरितमानस—एक, 44. श्री सुखसागर—एक, 45. शंख बड़ा—एक, 46. झालर पीतल—एक, 47. कुर्सी फाईवर.

8. न्यास की आय का साधन :—कृषि भूमि चढ़ौत्री-दान.

9. कुल वार्षिक आय :—50,000/-

10. न्यास की संपत्ति पर ऋण का भार : कुछ नहीं.

उद्घोषणा आज दिनांक 11 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. बी. पाण्डेय,

(584) अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, शुजालपुर, जिला शाजापुर

प्र. क्र. 01/बी-113/2013-14.

प्रारूप-पाँच

[देखिये नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट, 1951 की धारा- 5 (1) व 5 (2) के अंतर्गत]

समक्ष.—पंजीयक, लोक न्यास, शुजालपुर, जिला शाजापुर के समक्ष.

अध्यक्ष श्री राजेन्द्र करनावट पिता श्री उत्तमचन्द्र करनावट, निवासी शुजालपुर सिटी के द्वारा श्री चिन्तामणी पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर मुर्ति पूजक ट्रस्ट लोक व धार्मिक पारमार्थिक न्यास का मध्यप्रदेश के लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-2 की उप-धारा (4) के अभिप्राय के लिये पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है. उक्त ट्रस्ट की चल-अचल सम्पति पंजीयन हेतु मेरे न्यायालय में प्रकरण चल रहा है. जिस पर दिनांक 18 नवम्बर, 2013 को मेरे द्वारा विचार किया जावेगा.

उक्त लोक न्यास एवं चल-अचल सम्पत्ति के पंजीयन किये जाने के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव हो तो, दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के 1 माह के अन्दर स्वयं अथवा किसी अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त किसी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा.

1. न्यास का मुख्यालय-जैन उपाश्रय वार्ड नं.-5, ओसवाल सेरी शुजालपुर सिटी.
2. कार्यक्षेत्र- शुजालपुर.
3. न्यास का उद्देश्य-पूजा, अर्चना, धर्मोपदेश एवं जैन धर्म का प्रचार-प्रसार करना एवं समय-समय पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यों का आयोजन, मंदिर जीर्णोद्धार एवं संशोधन, संप्रबंधन करना.
4. न्यास के आय के साधन-दान/अनुदान/उपहार/वार्षिक शुल्क आदि से.

श्री चिन्तामणी पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर मुर्ति पूजक ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है.—

चल सम्पत्ति	. .	राशि रुपये 5,82,960/-
अचल सम्पत्ति	. .	1. मंदिर क्षेत्रफल 15 × 33= 1485 वर्गफीट, 2. जैन उपासना भवन 1824.37 वर्गफीट भवन निर्मित वार्ड क्र.-5, शुजालपुर शहर.

हिन्दूसिंह चुण्डावत,

(585) अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर

कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, हस्तिनापुर, ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी.डब्ल्यू.आर./119, दिनांक 11 जनवरी, 1986 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक 50, दिनांक 06 जनवरी, 1996 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अत: मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-72(2) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुये कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, हस्तिनापुर, ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

आर. के. वाजपेई,
उप-पंजीयक.

(586)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल

बैतूल, दिनांक 31 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/769.—इस कार्यालय के पत्र दिनांक 22 जुलाई, 2013 से निम्नांकित सहकारी संस्थाएं विगत वर्षों से अकार्यशील रहने और अनेक कोशिशों के बावजूद भी कार्यशील न होने पर अपने उद्देश्यों की पूर्ति न करने तथा संस्था सदस्यों के हित में न होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 06 अगस्त, 2013 तक अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य/दस्तावेज कथन, उत्तर चाहा गया था.—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक व दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रतनपुर	1567/10-09-2007	574/22-07-2013
2.	आदिवासी महिला बहु. सह. संस्था मर्या., हिड़ली	1500/15-02-2005	556/22-07-2013

उक्त संस्थाओं द्वारा निर्धारित समयावधि बीत जाने के पश्चात् भी कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन संस्थाओं को परिसमापन में लाने में कोई आपत्ति नहीं है.

अतः मैं, दौलतराम गेडाम, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5/1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सी. एल. डोंगरे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, भीमपुर को उपरोक्त संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(587)

बैतूल, दिनांक 31 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/770.—इस कार्यालय के पत्र दिनांक 22 जुलाई, 2013 से निम्नांकित सहकारी संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील रहने और अनेक कोशिशों के बावजूद भी कार्यशील न होने पर अपने उद्देश्यों की पूर्ति न करने तथा संस्था सदस्यों के हित में न होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 06 अगस्त, 2013 तक अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य/दस्तावेज कथन, उत्तर चाहा गया था.—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांकव दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भयावाड़ी	1581/14-08-2008	575/22-07-2013

उक्त संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि बीत जाने के पश्चात् भी कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस संस्था को परिसमापन में लाने में कोई आपत्ति नहीं है.

अतः मैं, दौलतराम गेडाम, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5/1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)

के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बसंत मगरदे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, शाहपुर को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(587-A)

बैतूल, दिनांक 31 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/771.—इस कार्यालय के पत्र दिनांक 22 जुलाई, 2013 से निम्नांकित सहकारी संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील रहने और अनेक कोशिशों के बावजूद भी कार्यशील न होने पर अपने उद्देश्यों की पूर्ति न करने तथा संस्था सदस्यों के हित में न होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 06 अगस्त, 2013 तक अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य/दस्तावेज कथन, उत्तर चाहा गया था.—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक व दिनांक
1.	हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., खामला	1252/27-07-1991	578/22-07-2013
2.	पूर्णा महिला गृह उद्योग सहकारी संस्था मर्या., पोहर	1500/15-02-2005	558/22-07-2013
3.	प्रजापति कुंभकार औद्योगिक सह. संस्था मर्या., झल्लार	657/10-11-1997	554/22-07-2013
4.	श्री सांई वनोपज विकास सह. संस्था मर्या., कोथकुंड	1467/29-03-2003	553/22-07-2013

उक्त संस्थाओं द्वारा निर्धारित समयावधि बीत जाने के पश्चात् भी कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन संस्थाओं को परिसमापन में लाने में कोई आपत्ति नहीं है.

अतः मैं, दौलतराम गेडाम, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5/1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री युवराज ठाकरे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, भैंसदेही को उपरोक्त संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(587-B)

बैतूल, दिनांक 31 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/772.—इस कार्यालय के पत्र दिनांक 22 जुलाई, 2013 से निम्नांकित सहकारी संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील रहने और अनेक कोशिशों के बावजूद भी कार्यशील न होने पर अपने उद्देश्यों की पूर्ति न करने तथा संस्था सदस्यों के हित में न होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 06 अगस्त, 2013 तक अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य/दस्तावेज कथन, उत्तर चाहा गया था.—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांकव दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खल्ला	1087/29-03-1984	563/22-07-2013
2.	आदर्श हस्तकला महिला गृह उद्योग सह. सं. मर्या., कान्हाखापा	1540/31-10-2006	559/22-07-2013
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लिहदा	1523/20-12-2005	555/22-07-2013

उक्त संस्थाओं द्वारा निर्धारित समयावधि बीत जाने के पश्चात् भी कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन संस्थाओं को परिसमापन में लाने में कोई आपत्ति नहीं है.

अत: मैं, दौलतराम गेडाम, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5/1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. बर्थे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मुलताई को उपरोक्त संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(587-C)

बैतूल, दिनांक 31 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/773.—इस कार्यालय के पत्र दिनांक 22 जुलाई, 2013 से निम्नांकित सहकारी संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील रहने और अनेक कोशिशों के बावजूद भी कार्यशील न होने पर अपने उद्देश्यों की पूर्ति न करने तथा संस्था सदस्यों के हित में न होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 06 अगस्त, 2013 तक अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य/दस्तावेज कथन, उत्तर चाहा गया था.—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांकव दिनांक
1.	सतपुड़ा आवास एवं गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., बैतूल	1039/30-12-1982	573/22-07-2013
2.	पं. भवानी प्रसाद मिश्र गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., बैतूल	1324/04-08-1994	579/22-07-2013
3.	जय कृषि बीज उत्पा. एवं विप. सह. संस्था मर्या., महदगांव	1510/26-07-2005	576/22-07-2013
4.	पशु चिकित्सा विभाग साख सह. संस्था मर्या., बैतूल	1408/23-09-1999	561/22-07-2013
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोराखार	1564/10-09-2007	551/22-07-2013

उक्त संस्थाओं द्वारा निर्धारित समयावधि बीत जाने के पश्चात् भी कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन संस्थाओं को परिसमापन में लाने में कोई आपत्ति नहीं है.

अत: मैं, दौलतराम गेडाम, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5/1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राजेश वडयालकर, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बैतूल को उपरोक्त संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(587-D)

बैतूल, दिनांक 31 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/774.—इस कार्यालय के पत्र दिनांक 22 जुलाई, 2013 से निम्नांकित सहकारी संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील रहने और अनेक कोशिशों के बावजूद भी कार्यशील न होने पर अपने उद्देश्यों की पूर्ति न करने तथा संस्था सदस्यों के हित में न होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 06 अगस्त, 2013 तक अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य/दस्तावेज कथन, उत्तर चाहा गया था.—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक व दिनांक
1.	केदारनाथ बुनकर सहकारी संस्था मर्या., डंगारिया	160/23-07-1990	572/22-07-2013
2.	बालाजी हाथकरघा बुनकर सहकारी संस्था मर्या., मालेगांव	1487/06-09-2004	562/22-07-2013

उक्त संस्थाओं द्वारा निर्धारित समयावधि बीत जाने के पश्चात् भी कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन संस्थाओं को परिसमापन में लाने में कोई आपत्ति नहीं है.

अत: मैं, दौलतराम गेडाम, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5/1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राजेश वडयालकर, सहकारिता विस्तार अधिकारी, आमला को उपरोक्त संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(587-E)

बैतूल, दिनांक 31 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/775.—इस कार्यालय के पत्र दिनांक 22 जुलाई, 2013 से निम्नांकित सहकारी संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील रहने और अनेक कोशिशों के बावजूद भी कार्यशील न होने पर अपने उद्देश्यों की पूर्ति न करने तथा संस्था सदस्यों के हित में न होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 06 अगस्त, 2013 तक अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य/दस्तावेज कथन, उत्तर चाहा गया था.—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांकव दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., परसोड़ी	1419/31-03-2000	577/22-07-2013
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सांवगीघाट	1444/04-05-2001	571/22-07-2013
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिहरगांव	1579/05-07-2008	570/22-07-2013
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुंभीखेड़ा	1608/17-09-2009	568/22-07-2013
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गौनापुर	1610/20-09-2009	567/22-07-2013
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मंगोनाकला	996/17-10-1981	566/22-07-2013
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सोमगढ़	1396/30-03-1999	565/22-07-2013
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेड़ीदेवनाला	1570/13-12-2007	564/22-07-2013
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मालेगांव	1611/22-09-2009	569/22-07-2013
10.	प्राथमिक विपणन सहकारी संस्था मर्या., प्रभाटपट्टन	1340/10-11-1195	557/22-07-2013

उक्त संस्थाओं द्वारा निर्धारित समयावधि बीत जाने के पश्चात् भी कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन संस्थाओं को परिसमापन में लाने में कोई आपत्ति नहीं है.

अत: मैं, दौलतराम गेडाम, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5/1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. एस. डोंगरे, सहकारिता विस्तार

अधिकारी, प्रभातपट्टन को उपरोक्त संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

दौलतराम गेडाम,
उप-पंजीयक.

(587-F)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

देवास, दिनांक 31 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./13/2219.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1586, दिनांक 13 जून, 2012 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छोटी गुरलाय, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1105, दिनांक 29 अक्टूबर, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पी. एन. पाटीदार, दुग्ध संघ , पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 31 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(588)

देवास, दिनांक 31 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./13/2220.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1584, दिनांक 13 जून, 2012 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पटलावद मोहला, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1094, दिनांक 20 अप्रैल, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एच. आर. मालवीय, दुग्ध संघ पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 31 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(588-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./13/2221.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 135, दिनांक 10 जनवरी, 2012 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,

आमलाताज, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 135, दिनांक 10 जनवरी, 2012 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. सी. जायसवाल, को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 31 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

के. एन. त्रिपाठी,
उप-पंजीयक.

(588-B)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 17 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/2175.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	जय भवानी कृषि उपज विपणन भण्डारण एवं प्रक्रिया मर्या., घट्टिया, उज्जैन	1540/09-05-2000

उपरोक्त संस्था अकार्यशील है एवं उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्था के पदाधिकारीगण संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	जय भवानी कृषि उपज विपणन भण्डारण एवं प्रक्रिया मर्या., घट्टिया, उज्जैन.	1540/09-05-2000	श्री सुरेन्द्र मालवीय, सह. निरीक्षक

यह आदेश आज दिनांक 17 सितम्बर, 2013 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(589)

उज्जैन, दिनांक 17 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/2175.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	मजदूर संघ सेनेटरी मार्ट सह. संस्था मर्या., नागझिरी, उज्जैन	1532/10-10-2000

उपरोक्त संस्था अकार्यशील है एवं उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्था के पदाधिकारीगण संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	मजदूर संघ सेनेटरी मार्ट सह. संस्था मर्या., नागझिरी, उज्जैन.	1532/10-10-2000	श्री व्ही. के. जोशी, उप-अंकेक्षक

यह आदेश आज दिनांक 17 सितम्बर, 2013 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(589-A)

उज्जैन, दिनांक 17 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/2175.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	श्री नंदनी प्राथ. सेनटरी मार्ट सह. संस्था मर्या., उज्जैन	1543/29-12-2000

उपरोक्त संस्था अकार्यशील है एवं उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्था के पदाधिकारीगण संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	श्री नंदनी प्राथ. सेनटरी मार्ट सह. संस्था मर्या., उज्जैन	1543/29-12-2000	श्री व्ही. के. जोशी, उप-अंकेक्षक

यह आदेश आज दिनांक 17 सितम्बर, 2013 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(589-B)

उज्जैन, दिनांक 20 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2013/2216.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 273, दिनांक 06 फरवरी, 2008 द्वारा दिनदयाल यातायात सह. संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1026, दिनांक 13 दिसम्बर, 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री विनायक राजुरकर, सह. निरी. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(589-C)

उज्जैन, दिनांक 20 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2013/2216.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2484, दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 द्वारा दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., पलदूना, जिसका पंजीयन क्रमांक 854, दिनांक..... को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री नरसिंह कनेल, सह. निरी. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(589-D)

उज्जैन, दिनांक 20 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2013/2216.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 273, दिनांक 06 फरवरी, 2008 द्वारा अनुसूचित जाति कुक्कुट पालन सह. संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 752, दिनांक 19 मई, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री विनायक राजुरकर, सह. निरी. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(589-E)

उज्जैन, दिनांक 19 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2013/2202.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2973, दिनांक 01 नवम्बर, 1982 द्वारा नीरा तार गुड़ उद्योग सह. संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 828, दिनांक 17 अक्टूबर, 1958 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती स्वर्णलता कुशवाह, सह. निरी. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(589-F)

उज्जैन, दिनांक 19 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2013/2202.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 6643, दिनांक 07 दिसम्बर, 1968 द्वारा गाँधी दाल चावल उद्योग सह. संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 85, दिनांक 20 मार्च, 1961 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती स्वर्णलता कुशवाह, सह. निरी. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(589-G)

उज्जैन, दिनांक 19 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2013/2202.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1639, दिनांक 09 जून, 1982 द्वारा राजहंस दाल चावल उद्योग सह. संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 187, दिनांक 20 जून, 1963 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती स्वर्णलता कुशवाह, सह. निरी. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(589-H)

उज्जैन, दिनांक 19 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2013/2202.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1593, दिनांक 09 जून, 1982 द्वारा लक्ष्मी दाल चावल उद्योग सह. संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 125, दिनांक 28 अगस्त, 1961 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती स्वर्णलता कुशवाह, सह. निरी. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(589-I)

उज्जैन, दिनांक 19 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2013/2202.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 443, दिनांक 01 फरवरी, 1984 द्वारा बहुउद्देशीय चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., झार्डा, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 8343, दिनांक 22 फरवरी, 1957 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सी. एस. असोड़िया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(589-J)

उज्जैन, दिनांक 19 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2013/2202.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1084, दिनांक 13 फरवरी, 1992 द्वारा गंगामाता चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., महिदपुर, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 618, दिनांक 18 फरवरी, 1957 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सी. एस. असोड़िया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(589-K)

उज्जैन, दिनांक 23 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2013/2226.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 623, दिनांक 22 अप्रैल, 2009 द्वारा ग्रेसिम एम्पलाईज स्वायत्ता उपभोक्ता कल्याण सहकारिता मर्या., नागदा, जिसका पंजीयन क्रमांक 79, दिनांक 03 जुलाई, 2005 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एच. एल. मंसौरे, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(589-L)

उज्जैन, दिनांक 23 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2013/2226.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 623, दिनांक 22 अप्रैल, 2009 द्वारा वैभव लक्ष्मी बहुउद्देशीय स्वायत्ता सहकारिता मर्या., रूनिजा, जिसका पंजीयन क्रमांक 35, दिनांक 22 अप्रैल, 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एच. एल. मंसौरे, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(589-M)

उज्जैन, दिनांक 23 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2013/2226.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 623, दिनांक 22 अप्रैल, 2009 द्वारा रजवाड़ी महिला बहुउद्देशीय स्वायत्ता सहकारिता मर्या., गावड़ी देवसी, जिसका पंजीयन क्रमांक 34, दिनांक 22 अप्रैल, 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एच. एल. मंसौरे, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,

(589-N) उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

खरगोन, दिनांक 20 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1232.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./995, दिनांक 23 अगस्त, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जलज्योति, तह. कसरावद, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1287, दिनांक 06 जून, 2001 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री सौहन चौहान, सहकारी निरीक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(590)

खरगोन, दिनांक 20 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./992, दिनांक 23 अगस्त, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, घोटिया, तह. खरगोन, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./640, दिनांक 21 दिसम्बर, 1983 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री बी. एल. सोलंकी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, खरगोन को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(590-A)

खरगोन, दिनांक 20 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1334.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./991, दिनांक 23 अगस्त, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कोठाबुजुर्ग, तह. खरगोन, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1389, दिनांक 28 जुलाई, 2004 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री बी. एल. सोलंकी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, खरगोन को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(590- B)

खरगोन, दिनांक 20 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./993, दिनांक 23 अगस्त, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से ''डी'' वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सुरपाला, तह. बड़वाह, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N/1340, दिनांक 23 जून, 2003 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री संतोष जोशी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(590-C)

खरगोन, दिनांक 20 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./994, दिनांक 23 अगस्त, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से ''डी'' वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बलकवाडा, तह. कसरावद, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N/1379, दिनांक 26 मार्च, 2002 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री सौहन चौहान, सहकारी निरीक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(590-D)

खरगोन, दिनांक 20 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1005, दिनांक 23 अगस्त, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से ''डी'' वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)

के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सरवर देवला, तह. कसरावद, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N/1093, दिनांक 16 जनवरी, 1997 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री राजाराम भट्ट, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कसरावद को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(590- E)

खरगोन, दिनांक 20 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1004, दिनांक 23 अगस्त, 2013 को समिति अकार्यशील होने से, अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से ''डी'' वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, तिरक्यावाडी, तह. सेगांवा, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N/1358, दिनांक 31 मार्च, 2004 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री राजाराम भट्ट, सहकारिता विस्तार अधिकारी, सेगांवा को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(590- F)

खरगोन, दिनांक 20 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1001, दिनांक 23 अगस्त, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से ''डी'' वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उटावद, तह. कसरावद, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N/1091, दिनांक 16 जनवरी, 1987 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री महेन्द्र ठाकुर, सहकारी निरीक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(590-G)

खरगोन, दिनांक 20 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1000, दिनांक 23 अगस्त, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से ''डी'' वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सावदा, तह. कसरावद, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N/1126, दिनांक 26 मार्च, 1997 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री राजाराम भट्ट, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कसरावद को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(590-H)

खरगोन, दिनांक 20 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./978, दिनांक 23 अगस्त, 2013 को समिति अकार्यशील होने से, अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सांगवी, तह. खरगोन, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N/1580, दिनांक 22 सितम्बर, 2009 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री नवीन मुहावरे, सहकारी निरीक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(590-I)

खरगोन, दिनांक 20 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./989, दिनांक 23 अगस्त, 2013 को समिति अकार्यशील होने से, अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, साटकूट, तह. कसरावद, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N/1367, दिनांक 31 मार्च, 2004 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री महेन्द्र ठाकुर, सहकारी निरीक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(590- J)

खरगोन, दिनांक 20 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./990, दिनांक 23 अगस्त, 2013 को समिति अकार्यशील होने से, अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)

के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रूपखेडा, तह. कसरावद, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N/1437, दिनांक 01 दिसम्बर, 2005 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री महेन्द्र ठाकुर, सहकारी निरीक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. अलावा,
उप-पंजीयक.

(590-K)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर

नरसिंहपुर, दिनांक 27 जुलाई, 2013

क्र./उरन/परि./2013-14/838.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उरन/परि./12-13/57 बी, नरसिंहपुर, दिनांक 28 जनवरी, 2013 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, ज्बारा, पं. क्र. 556, दिनांक 27 मार्च, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री डी. के. शुक्ला, प्रबन्धक, दुग्ध शीत केन्द्र, नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी आदि का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी-देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, ज्बारा, पं. क्र. 556, दिनांक 27 मार्च, 1997, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 27 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(591)

नरसिंहपुर, दिनांक 27 जुलाई, 2013

क्र./उरन/परि./2013-14/839.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उरन/परि./12-13/57 बी, नरसिंहपुर, दिनांक 28 जनवरी, 2013 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सुन्हेटी, पं. क्र. 550, दिनांक 28 मार्च, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री डी. के. शुक्ला, प्रबन्धक, दुग्ध शीत केन्द्र, नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी आदि का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी-देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सुन्हेटी, पं. क्र. 550, दिनांक 28 मार्च, 1997, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन

निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 27 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(591-A)

नरसिंहपुर, दिनांक 27 जुलाई, 2013

क्र./उरन/परि./2013-14/840.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उरन/परि./12-13/57 बी, नरसिंहपुर, दिनांक 28 जनवरी, 2013 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मनकापुर, पं. क्र. 551, दिनांक 28 मार्च, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री डी. के. शुक्ला, प्रबन्धक, दुग्ध शीत केन्द्र, नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी आदि का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी-देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मनकापुर, पं. क्र. 551, दिनांक 28 मार्च, 1997, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 27 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(591-B)

नरसिंहपुर, दिनांक 27 जुलाई, 2013

क्र./उरन/परि./2013-14/841.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उरन/परि./12-13/57 बी, नरसिंहपुर, दिनांक 28 जनवरी, 2013 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, दमोईया, पं. क्र. 508, दिनांक 28 मार्च, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री डी. के. शुक्ला, प्रबन्धक, दुग्ध शीत केन्द्र, नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी आदि का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी-देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, दमोईया, पं. क्र. 508, दिनांक 28 मार्च, 1997, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 27 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(591-C)

नरसिंहपुर, दिनांक 27 जुलाई, 2013

क्र./उरन/परि./2013-14/842.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उरन/परि./12-13/57 बी, नरसिंहपुर, दिनांक 28 जनवरी, 2013 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मड़ेसुर, पं. क्र. 547, दिनांक 28 मार्च, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री डी. के. शुक्ला, प्रबन्धक, दुग्ध शीत केन्द्र, नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी आदि का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी-देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मड़ेसुर, पं. क्र. 547, दिनांक 28 मार्च, 1997, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 27 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(591-D)

नरसिंहपुर, दिनांक 27 जुलाई, 2013

क्र./उरन/परि./2013-14/843.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उरन/परि./12-13/57 बी, नरसिंहपुर, दिनांक 28 जनवरी, 2013 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, ग्वारी, पं. क्र. 554, दिनांक 28 मार्च, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री डी. के. शुक्ला, प्रबन्धक, दुग्ध शीत केन्द्र, नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी आदि का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी-देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, ग्वारी, पं. क्र. 554, दिनांक 28 मार्च, 1997, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 27 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(591-E)

नरसिंहपुर, दिनांक 27 जुलाई, 2013

क्र./उरन/परि./2013-14/844.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उरन/परि./12-13/57 बी, नरसिंहपुर, दिनांक 28 जनवरी, 2013 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कूसीबाड़ा, पं. क्र. 532, दिनांक 13 मार्च, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री डी. के. शुक्ला, प्रबन्धक, दुग्ध शीत केन्द्र, नरसिंहपुर

को परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी आदि का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी-देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कूसीबाड़ा, पं. क्र. 532, दिनांक 13 मार्च, 1997, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 27 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(591-F)

नरसिंहपुर, दिनांक 27 जुलाई, 2013

क्र./उरन/परि./2013-14/845.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उरन/परि./12-13/57 बी, नरसिंहपुर, दिनांक 28 जनवरी, 2013 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खमरिया, पं. क्र. 494, दिनांक 03 मार्च, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री डी. के. शुक्ला, प्रबन्धक, दुग्ध शीत केन्द्र, नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी आदि का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी-देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खमरिया, पं. क्र. 494, दिनांक 03 मार्च, 1997, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 27 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

डी. पी. सिंह,
उप-रजिस्ट्रार.

(591-G)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

महुवा सहकारी समिति मर्यादित, भेण्डारा, पं.क्र. 286, दिनांक 12 सितम्बर, 1980 विकासखण्ड खैरलाँजी, तहसील खैरलाँजी, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/278, बालाघाट, दिनांक 18 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर, सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में

लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, खैरलाँजी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(592)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

इंदिरा गाँधी काम. कारी. सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पं.क्र. 529, दिनांक 07 सितम्बर, 1995 विकासखण्ड बालाघाट, तहसील बालाघाट, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/284, बालाघाट, दिनांक 18 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर, सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन,, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बालाघाट को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(592-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, गजपुर, पं.क्र. 678, दिनांक 30 अक्टूबर, 2006 विकासखण्ड खैरलाँजी, तहसील खैरलाँजी, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/279, बालाघाट, दिनांक 18 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर, सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, खैरलाँजी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन

दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(592-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

आदि. श्रमिक क्रेशर सहकारी समिति मर्यादित, मलाजखण्ड, पं.क्र. 282, दिनांक 07 सितम्बर, 1974 विकासखण्ड बिरसा, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/288, बालाघाट, दिनांक 18 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर, सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बिरसा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(592-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. आस्था महिला श. पु. सहकारी समिति मर्यादित, कन्हड़गाँव, पं.क्र. 631, दिनांक 29 अप्रैल, 2003 विकासखण्ड कटंगी, तहसील कटंगी, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/287, बालाघाट, दिनांक 18 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर, सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, कटंगी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(592-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, ढीपूर, पं.क्र. 704, दिनांक 28 जुलाई, 2008 विकासखण्ड परसवाड़ा, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/286, बालाघाट, दिनांक 18 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर, सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी कर,ते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, परसवाड़ा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(592-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रा. जागृति महिला बहु. सहकारी समिति मर्यादित, भटेरा,, पं.क्र. 643, दिनांक 27 दिसम्बर, 2003 विकासखण्ड बालाघाट, तहसील बालाघाट, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/285, बालाघाट, दिनांक 18 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर, सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी कर,ते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बालाघाट को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(592-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, घोटी,, पं.क्र. 330, दिनांक 25 फरवरी, 1987 विकासखण्ड लालबर्रा, तहसील लालबर्रा, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/281, बालाघाट, दिनांक 18 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर, सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये

रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी कर,ते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, लालबर्रा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(592-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. जनहित महिला श. पु. बहु. सहकारी समिति मर्यादित, टेकाडीटीजू, पं.क्र. 39, दिनांक 06 अगस्त, 2011 विकासखण्ड खैरलाँजी, तहसील खैरलाँजी, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/283, बालाघाट, दिनांक 18 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर, सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी कर,ते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, खैरलाँजी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(592-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

ईंट-खपरा उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, लामना, पं.क्र. 44, दिनांक 30 अगस्त, 1963 विकासखण्ड बालाघाट, तहसील बालाघाट, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/282, बालाघाट, दिनांक 18 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर, सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी कर,ते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960

की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बालाघाट को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(592-I)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, सरण्डी, पं.क्र. 682, दिनांक 31 अक्टूबर, 2006 विकासखण्ड वारासिवनी, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/280, बालाघाट, दिनांक 18 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर, सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी कर,ते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, वारासिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(592-J)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, कटंगझरी, पं. क्र. 655, दिनांक 31 मार्च, 2005 विकासखण्ड वारासिवनी, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/277, बालाघाट, दिनांक 18 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर, सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी कर,ते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, वारासिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(592-K)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, कोचेवाही, पं.क्र. 565, दिनांक 20 मार्च, 1973 विकासखण्ड कटंगी, तहसील कटंगी, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/276, बालाघाट, दिनांक 18 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर, सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी कर,ते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, कटंगी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(592-L)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, पूनी, पं.क्र. 654, दिनांक 31 मार्च, 2005 विकासखण्ड वारासिवनी, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/274, बालाघाट, दिनांक 18 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर, सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी कर,ते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, वारासिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(592-M)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, कोथुरना, पं.क्र. 581, दिनांक 31 मार्च, 1997 विकासखण्ड खैरलाँजी, तहसील खैरलाँजी, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/271, बालाघाट, दिनांक 18 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर, सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये

रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी कर,ते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, खैरलाँजी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(592-N)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, अगासी, पं.क्र. 503, दिनांक 24 फरवरी, 1995 विकासखण्ड कटंगी, तहसील कटंगी, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/289, बालाघाट, दिनांक 18 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर, सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी कर,ते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, कटंगी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 27 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(592-O)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, पौंडी, पं.क्र. 657, दिनांक 31 मार्च, 2005 विकासखण्ड बैहर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/290, बालाघाट, दिनांक.....के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर, सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी कर,ते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960

की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बैहर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 27 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(592-P)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, परसाटोला, पं.क्र. 659, दिनांक 31 मार्च, 2005 विकासखण्ड बैहर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/243, बालाघाट, दिनांक 13 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर, सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी कर,ते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बैहर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 27 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(592-Q)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, गोंडी टोला, पं.क्र. 713, दिनांक 22 जनवरी, 2009 विकासखण्ड खैरलाँजी, तहसील खैरलाँजी, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/244, बालाघाट, दिनांक 13 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर, सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी कर,ते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, खैरलाँजी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 27 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(592-R)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, डोंगरिया, पं.क्र. 653, दिनांक 31 मार्च, 2005 विकासखण्ड वारासिवनी, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/248, बालाघाट, दिनांक 13 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर, सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी कर,ते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, वारासिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 27 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(592-S)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, खुर्सीपार, पं.क्र. 548, दिनांक 20 नवम्बर, 1996 विकासखण्ड खैरलाँजी, तहसील खैरलाँजी, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/254, बालाघाट, दिनांक 13 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर, सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी कर,ते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, खैरलाँजी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 27 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(592-T)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, हथौड़ा, पं.क्र. 685, दिनांक 31 अक्टूबर, 2006 विकासखण्ड कटंगी, तहसील कटंगी, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/249, बालाघाट, दिनांक 13 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर, सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी कर,ते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, कटंगी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 27 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(592-U)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, बिजौरा, पं.क्र. 714, दिनांक 20 जनवरी, 2009 विकासखण्ड बैहर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/251, बालाघाट, दिनांक 13 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर, सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी कर,ते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बैहर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 27 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(592-V)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, गोवारी, पं.क्र. 708, दिनांक 20 जनवरी, 2009 विकासखण्ड बैहर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/250, बालाघाट, दिनांक 13 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर, सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां

अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी कर,ते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बैहर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 27 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(592-W)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, बिरवा, पं.क्र. 724, दिनांक 18 सितम्बर, 2009 विकासखण्ड बैहर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/252, बालाघाट, दिनांक 13 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर, सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी कर,ते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बैहर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 27 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

एम. पी. चक्रवर्ती,
उप-रजिस्ट्रार.

(592-X)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत ग्रामीण महिला कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., डोडरी, जिसका पंजीयन क्र. 909, दिनांक 18 मार्च, 2005 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/96, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री एम. एम. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मेहगाँव को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(593)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत ग्रामीण महिला कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भारौली खुर्द, जिसका पंजीयन क्र. 910, दिनांक 18 मार्च, 2005 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/97, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री एम. एम. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मेहगाँव को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(593-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत ग्रामीण महिला कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., पर्वावन, जिसका पंजीयन क्र. 911, दिनांक 22 मार्च, 2005 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/98, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री एम. एम. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मेहगाँव को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(593-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत जय दुर्गे महिला कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., गोविन्द नगर, भिण्ड, जिसका पंजीयन क्र. 830, दिनांक 15 फरवरी, 2002 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/99, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री माता प्रसाद, सहकारिता विस्तार अधिकारी, भिण्ड को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(593-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत महिला नारी कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., महावीर चौक, भिण्ड, जिसका पंजीयन क्र. 887, दिनांक 05 अक्टूबर, 2004 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/100, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री माता प्रसाद, पद सहकारिता विस्तार अधिकारी, भिण्ड को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(593-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत जय माँ दुर्गे महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सोनी, जिसका पंजीयन क्र. 883, दिनांक 20 जुलाई, 2004 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/101, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री एम. एम. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मेहगाँव को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(593-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत ग्रामीण बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., लहरौली, जिसका पंजीयन क्र. 893, दिनांक 11 अक्टूबर, 2004 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/102, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)

(क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री माता प्रसाद, सहकारिता विस्तार अधिकारी, भिण्ड को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(593-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत माँ वैष्णों महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., अमायन, जिसका पंजीयन क्र. 896, दिनांक 12 अक्टूबर, 2004 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/103, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री एम. एम. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मेहगाँव को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(593-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सराया, जिसका पंजीयन क्र. 928, दिनांक 30 दिसम्बर, 2005 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/104, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री अशोक यादव, सहकारिता विस्तार अधिकारी, अटेर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(593-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत जय दुर्गे माँ महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., विछौली, जिसका पंजीयन क्र. 932, दिनांक 18 जनवरी, 2006 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की

धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/105, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री अशोक यादव, सहकारिता विस्तार अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(593-I)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ढोचरा, जिसका पंजीयन क्र. 943, दिनांक 10 जुलाई, 2006 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/106, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री माता प्रसाद, सहकारिता विस्तार अधिकारी, भिण्ड को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(593-J)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कनेरा, जिसका पंजीयन क्र. 948, दिनांक 10 जुलाई, 2006 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/107, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री अशोक यादव, सहकारिता विस्तार अधिकारी, अटेर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(593-K)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत मौमिन बुनकर सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड, जिसका पंजीयन क्र. 193, दिनांक

09 जनवरी, 1970 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/109, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री माता प्रसाद, सहकारिता विस्तार अधिकारी, भिण्ड को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(593-L)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत अ. जा./अ.ज.जा./स्टेशनरी क्रय/विक्रय सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड जिसका पंजीयन क्र. 881, दिनांक 01 मार्च, 2004 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/111, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री माता प्रसाद, सहकारिता विस्तार अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(593-M)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत गाँधी बुनकर सहकारी संस्था मर्या.,सुन्दरपुरा, जिसका पंजीयन क्र....., दिनांक..... विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/112, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री माता प्रसाद, सहकारिता विस्तार अधिकारी, भिण्ड को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(593-N)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बिजपुरी, जिसका पंजीयन क्र.

927, दिनांक 30 दिसम्बर, 2005 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/113, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री माता प्रसाद, सहकारिता विस्तार अधिकारी, भिण्ड को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(593-O)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सुरपुरा, जिसका पंजीयन क्र. 949, दिनांक 24 दिसम्बर, 2008 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/114, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री अशोक यादव, सहकारिता विस्तार अधिकारी, अटेर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(593-P)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चाँदोख, जिसका पंजीयन क्र. 578, दिनांक 29 सितम्बर, 1988 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/115, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी. ई. ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(593-Q)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शोभाराम का पुरा, जिसका

पंजीयन क्र. 839, दिनांक 03 अप्रैल, 2002 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/116, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी. ई. ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(593-R)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सोने लाल का पुरा, जिसका पंजीयन क्र. 940, दिनांक 20 मई, 2006 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/118, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी. ई. ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(593-S)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., विजयपुरा, जिसका पंजीयन क्र. 619, दिनांक 31 जनवरी, 1989 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/119, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी. ई. ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(593-T)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मानपुरा, जिसका पंजीयन क्र. 624, दिनांक 30 मार्च, 1988 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/121, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी. ई. ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(593-U)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जैतपुरा, जिसका पंजीयन क्र. 535, दिनांक 30 मार्च, 1988 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/122, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी. ई. ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(593-V)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रजपुरा, जिसका पंजीयन क्र. 574, दिनांक 29 सितम्बर, 1988 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/123, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी. ई. ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(593-W)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चन्द्रावली, जिसका पंजीयन क्र. 611, दिनांक 31 जनवरी, 1989 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/125, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी. ई. ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(593-X)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिकरी जागीर, जिसका पंजीयन क्र. 478, दिनांक 29 जुलाई, 1989 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/126, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी. ई. ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(593-Y)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अतियन का पुरा, जिसका पंजीयन क्र. 615, दिनांक 31 जनवरी, 1989 विगत वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है. कार्यालय स्तर से मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2013/127, दिनांक 30 जनवरी, 2013 को जारी किया गया, जिसमें जवाब देने की तिथि 02 मार्च, 2013 एवं 06 मार्च, 2013 नियत की गयी थी. निर्धारित तिथि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये इससे स्पष्ट है कि संस्था कई वर्षों से बन्द होकर अकार्यशील है. उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था में श्री आर. के. शर्मा, वी. ई. ओ., दुग्ध संघ, ग्वालियर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर तीन माह के अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

उपेन्द्र सिंह,

(593-Z) उप-पंजीयक.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 01 नवम्बर 2013-कार्तिक 10, शके 1935

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 10 जुलाई, 2013

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील अशोकनगर (अशोकनगर), निवाड़ी, जतारा, बल्देवगढ़, ओरछा (टीकमगढ़), गौरीहार, छतरपुर, बिजावर (छतरपुर), शाहनगर (पन्ना), शाहगढ़ (सागर), जवेरा, पटेरा (दमोह), उचेहरा (सतना), मऊगंज (रीवा),गोपदवनास, सिंहावल, कुसमी, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), सुसनेर, नलखेड़ा (शाजापुर), झाबुआ (झाबुआ), कट्टीवाड़ा (अलीराजपुर), मझौली (जबलपुर), बरही (कटनी), घंसोर (सिवनी), लाँजी, वारासिवनी, कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील मुरैना (मुरैना), श्योपुर, विजयपुर (श्योपुर), मुंगावली (अशोकनगर), टीकमगढ़, पलेरा (टीकमगढ़), नौगांव, बड़ामल्हरा (छतरपुर), पन्ना (पन्ना), बण्डा, सागर, रहली, गढ़ाकोटा (सागर), हटा, पथरिया, तेन्दूखेड़ा (दमोह), मझगवां, मैहर (सतना), त्यौंथर, सिरमौर, हजूर, गुढ़, रायपुरकर्चुलियान (रीवा), बांधवगढ़, पाली (उमरिया), मझौली (सीधी), भानपुरा (मंदसौर), थांदला, मेघनगर, पेटलावद, राणापुर (झाबुआ), जोवट, चन्द्रशेखर आजाद नगर (अलीराजपुर), लटेरी, सिरोंज (विदिशा), रायसेन, बाड़ी, उदयपुरा (रायसेन), घोड़ाडोंगरी, आढनेर (बैतूल), बाबई, सोहागपुर, पिपरिया, वनखेड़ी (होशंगाबाद), सीहोरा (जबलपुर), नारायणगंज, बिछिया (मण्डला), केवलारी, कुरई, घनोरा, छपारा (सिवनी), बालाघाट (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील जौरा (मुरैना), अटेर, गोहद, मेहगांव, लहार (भिण्ड), ग्वालियर, डबरा, घाटीगांव (ग्वालियर), ईसागढ़, चंदेरी (अशोकनगर), राजनगर (छतरपुर), गुन्नौर, पवई (पन्ना), देवरी (सागर), रघुराजनगर, रामपुर-बघेलान, रामनगर, बिरसिंहपुर (सतना), हनुमना (रीवा), अनूपपुर, कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), मंदसौर, शामगढ़, सीतामऊ (मंदसौर), बुरहानपुर (बुरहानपुर), सारंगपुर (राजगढ़), कुरवाई, नटेरन (विदिशा), गोहरगंज, बरेली (रायसेन), शाहपुर, चिचोली, बैतूल, मुलताई, आमला (बैतूल), कुण्डम (जबलपुर), रीठी, विजयराघवगढ़, ढीमरखेड़ा (कटनी), घुघरी (मण्डला), लखनादौन (सिवनी), बैहर (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील अम्बाह, पोरसा, सबलगढ़, कैलारस (मुरैना), कराहल (श्योपुर), भिण्ड, मिहोना (भिण्ड), भितरवार (ग्वालियर), शिवपुरी, पिछोर, नरवर, करैरा, कोलारस, पोहरी, बदरवास (शिवपुरी), पृथ्वीपुर (टीकमगढ़), लौण्डी (छतरपुर), अजयगढ़ (पन्ना), बीना, खुरई, केसली, राहतगढ़, मालथोन (सागर), नागोद, अमरपाटन (सतना), जेतहरी (अनूपपुर), मानपुर (उमरिया), सुवासराटप्पा, मल्हारगढ़, गरोठ, धुन्धड़का, संजीत (मंदसौर), जावरा, आलोट, पिपलौदा, रतलाम (रतलाम), खाचरौद, महिदपुर, तराना, घटिया, उज्जैन, बड़नगर, नागदा

(उज्जैन), बदनावर, सरदारपुर, धार, कुक्षी, मनावर, धरमपुरी, गंधवानी, डही (धार), बड़वानी, ठीकरी, राजपुर, सेंधवा, पानसेमल, पाटी, निवाली (बड़वानी), खकनार, नेपानगर (बुरहानपुर), जीरापुर, खिलचीपुर, राजगढ़, ब्यावरा, नरसिंहगढ़ (राजगढ़), बासौदा, विदिशा, गुलाबगंज, ग्यारसपुर (विदिशा), बैरसिया (भोपाल), गैरतगंज, बेगमगंज, सिलवानी (रायसेन), भैसदेही (बैतूल), सिवनी-मालवा, होशंगाबाद, इटारसी, पचमढ़ी (होशंगाबाद), जबलपुर, पाटन (जबलपुर), कटनी, बहोरीबंद, बड़वारा (कटनी), निवास, नैनपुर, मण्डला (मण्डला), सिवनी, बरघाट (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ड) 245.0 मि. मी. से 450 मि. मी. तक.—तहसील खनियाधाना (शिवपुरी), सैलाना, बाजना (रतलाम) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(इ) 450.1 मि. मी. से अधिकतम तक.—तहसील हुजूर (भोपाल) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, दमोह, सतना, रीवा, अनूपपुर, उमरिया, सीहोर, बैतूल, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, सिवनी में जुताई एवं धान की रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.—जिला मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, पन्ना, दमोह, अनूपपुर, उमरिया, बुरहानपुर, भोपाल, सीहोर, जबलपुर, कटनी, सिवनी एवं सीधी, बड़वानी में खरीफ फसल की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. फसल स्थिति.— . .

5. कटाई.— . .

6. सिंचाई.—जिला श्योपुर, ग्वालियर, छतरपुर, अनूपपुर, झाबुआ, बड़वानी, बैतूल में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. बीज.—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 10 जुलाई, 2013

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	123.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	76.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	29.0				
4. जौरा	42.0				
5. सबलगढ़	96.0				
6. कैलारस	56.0				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	22.0		4. (1) गन्ना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	100.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	25.0				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. अटेर	41.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	136.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	40.0				
4. मेहगांव	52.1				
5. लहार	39.8				
6. मिहोना 7. रौन	77.0				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	37.7		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	39.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	57.0				
4. घाटीगांव	42.0				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	58.0		4. (1) गन्ना, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	221.7		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	270.0				
4. नरवर	100.0				
5. करैरा	167.0				
6. कोलारस	92.0				
7. पोहरी	105.0				
8. बदरवास	79.0				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुंगावली	22.0		4. (1) सोयाबीन अधिक. उड़द, मक्का, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	45.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. अशोकनगर	13.0				
4. चन्देरी	39.0				
5. शाढौर	. .				
***जिला गुना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. राधौगढ़	. .		(2) . .	. .	
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	5.0		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, उड़द, मूँग, सोयाबीन, तिल, मूंगफली, गन्ना, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	62.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	10.0				
4. टीकमगढ़	29.0				
5. बल्देवगढ़	11.0				
6. पलेरा	33.0				
7. ओरछा	15.0				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	72.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	11.0		(2) . .		
3. नौगांव	29.2				
4. छतरपुर	11.6				
5. राजनगर	35.6				
6. बिजावर	15.3				
7. बड़ामलहरा	34.8				
8. बकस्वाहा	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	64.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	27.9		(2) . .		
3. गुन्नौर	46.0				
4. पवई	44.0				
5. शाहनगर	6.0				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	167.8		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द, मूंग, अरहर, तिल, मूंगफली, सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	118.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बण्डा	19.4				
4. सागर	32.4				
5. रेहली	26.3				
6. देवरी	51.3				
7. गढ़ाकोटा	22.4				
8. राहतगढ़	115.0				
9. केसली	66.0				
10. शाहगढ़	10.0				
11. मालथोन	80.6				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	21.0		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, तिल, सोयाबीन, उड़द, मूँग समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	18.0				
5. जवेरा	11.0				
6. तेन्दूखेड़ा	25.4				
7. पटेरा	5.0				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	37.6		4. (1) सोयाबीन, मक्का कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	32.0		(2) . .		
3. रामपुर-बघेलान	45.0				
4. नागौद	63.3				
5. उचेहरा	8.0				
6. अमरपाटन	70.0				
7. रामनगर	39.0				
8. मैहर	24.0				
9. बिरसिंहपुर	37.0				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	33.0		4. (1) अरहर, धान, ज्वार, सोयाबीन, मूँग, उड़द, तिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	19.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मऊगंज	16.0				
4. हनुमना	44.0				
5. हजूर	22.2				
6. गुढ़	25.2				
7.रायपुरकर्चुलियान	30.0				
***जिला शहडोल :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोहागपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	64.2		4. (1) मक्का, धान, कोदों, सोयाबीन, उड़द समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	39.3		(2) . .		
3. कोतमा	38.8				
4. पुष्पराजगढ़	52.3				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	26.4		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	28.0		(2) . .		
3. मानपुर	64.0				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं खरीफ की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	13.6		4. (1) मक्का, ज्वार, धान, कोदो-कुटकी, तिल, तुअर, मूँग, उड़द, कम	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	8.2		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	20.5				
4. कुसमी	16.0				
5. चुरहट	15.0				
6. रामपुरनैकिन	6.5				
***जिला सिंगरौली :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. चितरंगी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	62.6		4. (1) . .	6. . .	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	30.8		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	72.0				
4. गरोठ	68.8				
5. मन्दसौर	43.0				
6. शामगढ़	37.0				
7. सीतामऊ	40.1				
8. धुन्धड़का	121.0				
9. संजीत	99.0				
***जिला नीमच :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	115.9		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	169.4		(2) . .		
3. सैलाना	308.0				
4. बाजना	271.0				
5. पिपलौदा	131.0				
6. रतलाम	182.6				
7. रावटी	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	101.0		4. (1) सोयाबीन, मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	106.0		(2) . .		
3. तराना	103.0				
4. घटिया	122.0				
5. उज्जैन	95.0				
6. बड़नगर	119.0				
7. नागदा	89.0				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई, सरसों सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	2.4		(2) . .		
3. नलखेड़ा	2.2				
4. आगर	. .				
5. बड़ौद	. .				
6. शाजापुर	. .				
7. शुजालपुर	. .				
8. कालापीपल	. .				
9. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) गेहूँ ,चना, राई-सरसों, अलसी, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		जौ अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	27.0		4. (1) सोयाबीन, कपास अधिक. मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	18.0		मूँगफली समान.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	30.0		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
4. झाबुआ	1.0				
5. राणापुर	18.0				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जोवट	32.4		4.(1) मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. सोण्डवा	. .		सोयाबीन, उड़द, कपास.	. .	
3. अलीराजपुर	. .		(2) . .		
4. कठ्ठीवाड़ा	15.0				
5. चन्द्रशेखर-आजाद नगर	24.0				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	117.4		4. (1) गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	98.0		(2) उपरोक्त फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	162.7				
4. कुक्षी	126.6				
5. मनावर	101.0				
6. धरमपुरी	63.0				
7. गंधवानी	134.0				
8. डही	145.0				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
***जिला प. निमाड़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वाह	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सनावद	. .		(2) . .		
3. महेश्वर	. .				
4. सेगांव	. .				
5. करही	. .				
6. खरगौन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसरावद	. .				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. खरीफ की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	69.4		4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	97.0		(2) उपरोक्त फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	80.0				
4. सेंधवा	70.0				
5. पानसेमल	99.0				
6. पाटी	89.0				
7. निवाली	71.0				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	35.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	166.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	85.0				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	60.0		4. (1) गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	67.2		(2) उपरोक्त फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	90.6				
4. ब्यावरा	64.2				
5. सारंगपुर	44.6				
6. नरसिंहगढ़	133.1				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. लटेरी	26.0		4. (1) . .	6. . .	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	31.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	45.0				
4. बासौदा	104.0				
5. नटेरन	52.0				
6. विदिशा	88.0				
7. गुलाबगंज	60.0				
8. ग्यारसपुर	85.0				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	226.4		4. (1) सोयाबीन, मक्का, मूँगफली, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	559.0		गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	. .	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	29.2		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	142.5		अरहर, मूँग, उड़द, सोयाबीन,	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	59.6		मूँगफली, तिल.		
4. गोहरगंज	48.0		(2) . .		
5. बरेली	53.0				
6. सिलवानी	72.5				
7. बाड़ी	27.0				
8. उदयपुरा	28.0				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	60.6	चालू है.	4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	18.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	44.2				
4. चिचोली	51.7				
5. बैतूल	40.2				
6. आठनेर	24.0				
7. मुलताई	51.2				
8. आमला	46.0				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	83.2	चालू है.	4. (1) मूँग-मोंठ सुधरी.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	54.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	30.0				
4. इटारसी	33.4				
5. सोहागपुर	23.0				
6. पिपरिया	26.2				
7. वनखेड़ी	34.5				
8. पचमढ़ी	55.6				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोरा	29.4	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	79.6		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	53.4				
4. मझौली	14.4				
5. कुण्डम	40.0				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	79.0	की रोपाई का कार्य	4. (1) धान, मक्का.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	41.0	चालू है.	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	39.0				
4. बहोरीबंद	90.8				
5. ढीमरखेड़ा	35.0				
6. बरही	10.0				
7. बड़वारा	128.0				

1	2	3	4	5	6
***जिला नरसिंहपुर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	79.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	25.7		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	60.2				
4. मण्डला	84.4				
5. घुघरी	37.8				
6. नारायणगंज	34.0				
***जिला डिण्डोरी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. शाहपुरा	. .		(2) . .		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	89.6	की रोपाई का कार्य चालू	4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	33.6	है.	मूँग, मूँगफली, सोयाबीन, तिल,	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	48.0		बाजरा, कोदों-कुटकी कम.		
4. बरघाट	96.1		(2) . .		
5. कुरई	32.0				
6. घंसौर	14.0				
7. धनोरा	34.1				
8. छपारा	20.4				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	21.4		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	15.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	50.0				
4. वारासिवनी	14.2				
5. कटंगी	7.6				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला गुना, शहडोल, सिंगरौली, नीमच, प. निमाड़, नरसिंहपुर, डिण्डोरी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(581)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.